न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

दायरा दिनांक : 15.06.2021

अपील संख्या 2021/79

उनवान

राज0 शासन जरिये तहसीलदार, छबडा जिला बारां (राज.) .... अपीलांट

बनाम

1. श्रीलाल पुत्र श्री रामचरण, जाति धाकड
2. रामस्वरूप पुत्र श्री रामचरण, जाति धाकड
3. रामनिवास पुत्र श्री रामचरण, जाति धाकड
4. मोहनलाल पुत्र श्री रामचरण, जाति धाकड
5. भंवरीबाई पुत्री श्री रामचरण, जाति धाकड
6. गिरजा बाई पुत्री श्री रामचरण, जाति धाकड
7. चम्पा बाई बेवा श्री रामचरण, जाति धाकड
   निवासीगण भुवाखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां (राज.)

... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री चन्द्र प्रकाश मीणा अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 16.10.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा के प्रकरण संख्या – 64/2019 निर्णय व डिक्री दिनांक 18.09.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि वादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा नं. 190 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 192 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा वाके माल ग्राम भुवाखेड़ी, तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान में अवस्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 18.09.2019 से वादी का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.09.2019 विधि विरूद्ध एवं न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्त किये जाने योग्य है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट/वादीगण द्वारा एक वाद पत्र ग्राम भुवाखेडी, तहसील छबड़ा की आराजियात खसरा नं. 190 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 192 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 14 बीघा 1 बिस्वा स्थित है जो राजस्व रेकार्ड वर्तमान जमाबंदी में मकबूजा सरकार श्रीलाल, रामस्वरूप, रामबिलास, मोहन पुत्रगण रामचरण, भंवरीबाई, गिरजा बाई पुत्रियां रामचरण व मुस0 चम्पा बाई बेवा श्री रामचरण, जाति धाकड के नाम दर्ज है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा द्वारा पूर्व में माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील को रिमाण्ड किया जाकर जिस दिशा निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा को निर्देशित किया गया था उसके अनुसार साक्ष्य नहीं ली गई और नामान्तरकरण सं. 15 की फोटोकॉपी पेश हुई जो किसी भी प्रकार से साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है फिर भी उसे साक्ष्य में रूप में मानकर एवं अन्य दस्तावेज जिसकी फोटो प्रतियां पेश हैं उन्हें भी विधि सम्मत मानकर भारी भूल की है तथा प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य नहीं ली गई है जबकि अपीलांट/प्रतिवादी राज0 सरकार द्वारा दिनांक 28.08.2019 को अपना जवाबदावा पेश किया गया व दिनांक 18.09.2019 को मूल वाद का निस्तारण कर दिया गया है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य का ठीक प्रकार से विवेचन नहीं किया गया और अपीलांट अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। मनमाना व विधि विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 18.09.2019 पारित की गई है, जो खिलाफ कानून व विधि के सुस्थापित दृष्टांतों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

रेस्पोडेंट/वादीगण द्वारा अपनी साक्ष्य सफाई में फोटो कापियां दस्तावेज की पेश की गई है जिन पर प्रदर्श नहीं डाला गया है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य के रूप में पढ़ने में कानूनी त्रुटि की है जबकि विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के अनुसार बिना प्रदर्श दस्तावेज को पढ़ा नहीं जा सकता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट के पक्ष में पूर्ण धारणा बनाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 18.09.2019 पारित की गई है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.09.2019 निरस्त फरमाया जाकर विवादित आराजियात का मकबूजा सरकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने की स्थिति यथावत बनाये रखे तथा राजस्व रिकार्ड में किया गया रद्दोबदल को पूर्व स्थिति में बहाल किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 05.04.2021 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

(डॉ. रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम भुवाखेड़ी, तहसील छबड़ा में खसरा नं. 190 व 192 की कुल 14 बीघा 1 बिस्वा आराजी राजस्व रेकार्ड में मकबूजा सरकार दर्ज है। उक्त वादग्रस्त आराजी के कम में पूर्व में दर्ज अपील संख्या 41/2016 में न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा दिनांक 08.03.2016 को निर्णय पारित कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.06.2016 को अपास्त करते हुए प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि प्रतिवादी से जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्ष से साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर सुनवायी प्रारम्भ करते हुए तनकीयात कायम की परन्तु अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर नहीं दिया गया। रेस्पोडेंट/वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की फोटो कॉपी साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं होने पर भी उन्हें विधि सम्मत मानकर उनके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया वह विधि सम्मत नहीं है। अपीलांट/प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य नहीं ली गई। दिनांक 28.08.2019 को अपीलांट द्वारा जवाब पेश किया गया व साक्ष्य प्रतिवादी दर्ज किये बिना ही दिनांक 18.09.2019 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया जो विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.09.2019 निरस्त की जाये।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में प्रस्तुत अपील संख्या 41/2016 में पारित अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.03.2016 में प्रदान किये गये निर्देशों की विधि अनुसार पूर्णतः पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा जवाब के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर प्रदर्श नहीं डाले गये और ना ही अपीलांट/प्रतिवादी से साक्ष्य प्राप्त की गई। रेस्पोडेंट/वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर भी प्रदर्श अंकित नहीं किये गये, परन्तु फिर भी उन्हें साक्ष्य के रूप में ग्रहण कर उनके आधार पर निर्णय पारित किया जिसे विधि सम्मत नहीं माना जा सकता। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी.पी.सी. के प्रावधानों का उल्लंघन कर पारित किये गये निर्णय को खारिज किया जाना हम उचित समझते है।

(वीरेन्द्र रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.09.2019 अपास्त किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांट/प्रतिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रस्तुत साक्ष्य पर प्रदर्श दर्ज करने के पश्चात तद्नुसार पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाये। उभय–पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा के यहां दिनांक 23.12.2024 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/10/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा